राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर

क्रमांकः प.10(न.पा.)(चुनाव)( )डीएलबी / 15 / 3660 दिनांकः 5/10/15

सचिव,

राज्य निर्वाचन आयोग,

सचिवालय, जयपुर ।

विषयः— निकाय चुनाव में सदस्य की शैक्षणिक योग्यता के क्रंम मे।

प्रसंगः— आपका पत्रांक 5709 दिनांकः 3 / 08 / 2015 ।

....

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासांगिक पत्र में अंकित बिन्दुओं के संदर्भ में विभाग का मत / राय निम्न प्रकार से प्रेषित है :—

क्र. सं.	बिन्दु	विभाग का मत
1.	40 वर्ष पूर्व के माध्यमिक स्तर की अंकतालिका / प्रमाण पत्र संबंधी रिकार्ड को नष्ट कर दिया गया है।शैक्षणिक रिकार्ड उपलब्ध नहीं है एवं बोर्ड द्वारा रिकार्ड नष्ट कर दिया जाने से उन्हें डूप्लीकेट अंक तालिका / प्रमाण पत्र भी उपलब्ध नहीं हो सकते है।	वर्ष 1970 के पूर्व का रिकार्ड माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा नष्ट कर दिया गया है। अतः उन व्यक्तियों के मामले में जिन्होने माध्यमिक शिक्षा 1970 के पूर्व प्राप्त की है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान एवं समकक्ष बोर्ड द्वारा जारी अंक तालिका, प्रमाण पत्र अथवा अन्य प्रमाणित सुसंगत दस्तावेज, टी.सी. आदि भी मान्य होगें।

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांकः प.10(न.पा.)(चुनाव)( )डीएलबी / 15 / 3661 to 3700 दिनांकः 5/10/15
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

01. जिला कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, समस्त राजस्थान को भेजकर निवेदन है कि बोर्ड की मान्यता, अंक तालिका या प्रमाण पत्र अथवा अन्य सुसंगत दस्तावेजों का अपने स्तर पर नियमानुसार परीक्षण किया जावें ।
02. उप निदेशक क्षेत्रीय, स्थानीय निकाय, समस्त राजस्थान ।

वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर—302005)
email- secraj@rajasthan.gov.in & secrajasthan@gmail.com, FAX 0141-2227280, 2227072

कमांकः एफ.4(1)(1) / नपा / रानिआ / 15—16 / 5772 दिनांकः 5.8.15

प्रतिलिपि समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर), को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(अशोक कुमार जैन)
सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर